



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठारीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
 प्रार्थना पत्र संख्या : 225/2024  
 निर्णय दिनांक : 24.01.2025

फैलीराम पुत्र काना, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाढ श्योपुर, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रामगोपाल भीना पुत्र नानगराम भीना, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ श्योपुर पटवार हल्का श्रीराम की नांगल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा लाला पुत्र मंगल का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 हैक्टेयर के लगवा अप्रार्थी संख्या एक की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 154 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक निर्माण करना चाहता है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के मध्य लगी मेड व तार बाउण्डरी को तोड़कर प्रार्थी की भूमि के कुछ हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहता है। जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को कहा कि पहले में मेरी भूमि का सीमाज्ञान करवा लेता हूं तथा आप भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लो उसके पश्चात आप सीमाज्ञान के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कर लेना परन्तु अप्रार्थी संख्या एक ऐसा नहीं करना चाहता और जबरन प्रार्थी की मेड व तार बाउण्डरी को तोड़कर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में सम्मिलित करते हुये निर्माण कार्य करना चाहता है जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान में फसल बोई जाने के बाद अप्रार्थी संख्या दो के यहां से सीमाज्ञान के आदेश नियमानुसार नहीं किये जा सकते हैं इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का सीमाज्ञान फसल कटने के बाद



उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ही करवा सकता है परन्तु अप्रार्थी संख्या एक आगे दिन प्रार्थी की मेड व तार बाउण्डरी तोड़कर निर्माण कार्य करने की कोशिश करता रहता है। दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थी संख्या एक कुछ मजदूरों व कारीगरों की लेकर आया और जबरन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि की मेड व तार बाउण्डरी की मोड़ने लगा तो प्रार्थी ने इसका विरोध किया और कहा कि आप सीमाज्ञान कराने में परचात ही निर्माण कार्य कर लेना आप अरीदराज से लगी मेड व तार बाउण्डरी को नहीं तोड़ सकते तो अप्रार्थी संख्या एक आगे बसूला हो गया और प्रार्थी के साथ माली मलीच करने लगा। हल्का सुनकर मौके पर मौजूदगीर व्यक्ति आ जाने से अप्रार्थी संख्या एक उस समय तो मौके से चला गया परन्तु जाने जाने धमकी दी कि मैं भविष्य में बिना सीमाज्ञान के ही जबरन निर्माण कार्य करके रहूंगा। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र वारते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा अपनी भूमि की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार रखते है। जबकि अप्रार्थी संख्या एक काफी शक्तिशाली व काफी पहुँच वाला व्यक्ति है तथा पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए श्रीमान न्यायालय की एक मात्र सहायता है। अगर अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी के खसरा नम्बर 150 व खसरा नम्बर 155 की भूमि के कुछ हिस्से पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी अपने हक हकूकों की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जायेगी जिसकी कमीपूर्ति करना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 150 व खसरा नम्बर 155 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 151 व खसरा नम्बर 154 में मिलाकर सीमाज्ञान नहीं होने तक किसी प्रकार से कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे, ऐसा न स्वयं करे, न ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा मौके की यथार्थिथति बनाये रखे तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादकारण दिनांक 22.08.2024 को तब शुरू हुआ जब अप्रार्थी संख्या एक कुछ मजदूरों व कारीगरों के साथ प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 150 व खसरा नम्बर 155 पर आकर मेड व तार बाउण्डरीवाल तोड़कर जबरन निर्माण कार्य करवाने की धमकी देने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दखुबी साबित है। यदि अप्रार्थी संख्या एक अपने नाजायज इरादों में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने वैध हक हकूकों की आराजीयात से सदैव के लिए महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप में किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम बाढ श्योपुर पटवार हल्का श्रीराम की नांगल भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 150 व खसरा नम्बर 155 को अप्रार्थी संख्या एक अपनी भूमि खसरा नम्बर 151 व खसरा नम्बर 154 में मिलाकर सीमाज्ञान नहीं होने तक किसी प्रकार से कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे, ऐसा न स्वयं करे, न ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा मौके की यथार्थिथति बनाये रखे तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।



  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**

तलाव की दृष्टि रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस संख्या एक की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को विक्रय/समर्पण कर दिया और प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से उक्त वर्णित भूमि पर बालाजी विहार-16 आवासीय कॉलोनी सृजित की है। प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा सोसायटी को विक्रय/समर्पण कर देने के परिणामस्वरूप उक्त वर्णित भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा चुकी है एवं उक्त वर्णित भूमि पर आवासीय कॉलोनी के सदस्य अपने-अपने भूखण्डों पर निर्माण कर मकानात बनाकर परिवार सहित शान्तिपूर्वक निवास कर रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि से प्रार्थी एवं उसके हकपूर्वाधिकारियों का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। उक्त वर्णित भूमि पर सोसायटी के आवंटन-पत्रों पर प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारियों के बतौर संयोजक हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आवासीय योजना प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा ही सृजित की गई है। मौके पर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर पक्के मकानात बने हुए हैं, मौके पर उक्त भूमि कोई कृषि काश्त नहीं है, ना ही वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि रही है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है और ना ही वर्तमान में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका उनवान फैलीराम मीणा बनाम राजेन्द्र अग्रवाल वाद संख्या 255/2022 एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 206/2022 है, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है और वादग्रस्त भूमि कृषि उपयोग में नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में आवासीय कॉलोनी बालाजी विहार-16 विकसित है और कॉलोनीवासियों मकानात बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं एवं उक्त मकानात पर विद्युत कनेक्शन भी लगवा रखे हैं। भूखण्डधारियों ने उक्त आवासीय कॉलोनी में सोसायटी रजिस्ट्रार के यहां वर्ष 2017 में एक विकास समिति बालाजी विकास समिति भी पंजीकृत करवा रखी है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2079 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कोई कृषि काश्त नहीं है और मौके पर मकानात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में उक्त वाद एवं प्रार्थना-पत्र का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है जो सरसरी तौर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने झूठे कथन के आधार पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी पर अनुचित दवाव बनाकर गैर-कानूनी लाभ प्राप्त करने की गरज से झूठा वाद एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी द्वारा इस स्थगन की आड में मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि

सुपखण्ड  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)


सुपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार अंकित है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी की ओर से दस्तावेजात हाल खसरा गिरदावरी, भूखण्डधारियों के विद्युत कनेक्शन के बिल, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र बालाजी विहार 16 विकास समिति, आवंटन पत्र, तहसीलदार सांगानेर की मौका रिपोर्ट, निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी फैलीराम मीणा बनाम राजेन्द्र की प्रति पेश किये। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में मौके पर आवासीय कॉलोनी सृजित होने का अंकन किया गया है, मौके पर कोई कृषि काश्त होना नहीं पाया है। अप्रार्थी की ओर से आवासीय कॉलोनी का विकास समिति का प्रमाण पत्र व विद्युत कनेक्शन कर प्रतियां पेश किया है जिससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर बालाजी विहार 16 आवासीय कॉलोनी बसी हुई है वर्तमान में भूखण्डधारी निवास कर रहे हैं। अप्रार्थी की ओर वादग्रस्त भूमि में बसी आवासीय कॉलोनी के आवंटन पत्र पेश किये है जिसमें बतौर संयोजक प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट है कि उक्त आवासीय कॉलोनी प्रार्थी के पिता द्वारा सृजित होना साबित है, हाल खसरा गिरदावरी में भी कोई फसल काश्त होना अंकित नहीं है इसमें भी मकानात बने होना व मौके पर भूमि भूखण्डो की बाउण्ड्रीवाल होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक की ओर प्रार्थी व राजेन्द्र अग्रवाल के मध्य उक्त विवादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित प्रकरण के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें पूर्व में ही निर्णय किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी भूमि कृषि भूमि नहीं है वर्तमान में उक्त विवादग्रस्त आराजी भूमि पर आवासीय योजना विकसित है, प्रार्थी का उक्त भूमि पर तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार कब्जा नहीं होना बताया है तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अप्रार्थी ने यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक की उक्त विवादग्रस्त भूमि बालाजी विहार योजना विकसित है, मौके पर कोई फसल काश्त नहीं है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के मध्य कोई मेड व तार बाउण्डरी नहीं है, उपरोक्त विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं है और वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा मौके पर आवासीय योजना विकसित होना साबित है। राजस्व न्यायालय में कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना संभव है तथा पूर्व में भी उक्त विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया है, इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्वयं के पक्ष में

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

